25/11/25

पत्रावली पेश। वकील पक्षी उपस्थित। वादी का वाद बैंक स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली शामिल किया। मय पत्रावली में नत्थी मुकदमा वीकार नम्बर से नाम से पत्रावली जिला लेख अगार में शामिल हो। सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

25/11/25

पत्रावली पेश/वकील प्रार्थी उपस्थित प्रार्थी के मृत्यु बाद का अंतिम निस्तारण हो गया है ऐसी स्थिति में अब पत्रावली कि अग्रिम कार्यवाही बन्द कि जाती है पत्रावली फैसल सुमार की नकल में [illegible] पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न रहे

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
78/2013	01.04.2013	24.11.2025

बउनवान

1. जगमाल सिंह पुत्र श्री श्योनारायण
2. सरवण देवी पत्नी स्व0 श्रीराम
3. मायादेवी पुत्री स्व0 श्रीराम जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र जोधा
2. हरफूल पुत्र जोधा मृतक

2/1 विधा देवी पुत्री श्री हरफूल
2/2 ईश्वरसिंह पुत्र
2/3 रामावतार पुत्र हरफूल मृतक
2/3/1 शारदा पत्नी स्व0 श्री रामावतार
2/3/2 अजीत पुत्र स्व0 श्री रामावतार
2/3/3 पवन पुत्र स्व0 श्री रामावतार
2/4 रघुवीर पुत्र
2/5 रणधीर पुत्र
2/6 वीरसिंह पुत्र
2/7 संतोष पुत्र हरफूल जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3/1 अमीलाल पुत्र हरदान मृतक
3/1/1 चन्द्रो देवी पत्नी अमीलाल
3/1/2 सुरेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/3 नरेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/4 धमेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/5 अनिता पुत्री श्री अमीलाल
3/1/6 बबली पुत्री श्री अमीलाल
3/2 बनवारी पुत्र हरदान
3/3 सरवण पुत्री हरदान
3/4 भगवती पुत्री हरदान
3/5 चम्पा पुत्री हरदान
3/6 रामकंला पुत्री हरदान जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

4. गिर्राज पुत्र प्रभात
5. रोहताश पुत्र प्रभाती मृतक

5/1 सदा उर्फ शारदा पत्नी श्री रोहिताश
5/2 राजेश पुत्र रोहिताश
5/3 राजेश पुत्र रोहिताश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

5/4 अशविन पुत्र रोहिताश जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

7. भूराराम पुत्र श्री श्योनारायण मृतक
7/1 वेदप्रकाश पुत्र भूराराम
7/2 कैलाश पुत्री भूराराम
7/3 लखपती पुत्री भूराराम
7/4 बिरमा पुत्री भूराराम
7/5 संजय पुत्री भूराराम जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री संतीस यादव —: वादी वकील

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख0 नं0 595/0.13 है0, 596/0.13 है0, 597/0.11 है0, 626/0.43 है0, कुल किता 04 रकबा 0.80 है0 वाके ग्राम सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर मे स्थित है। जो आराजी ख0 नं0 595/0.13 है0, 596/0.13 है0, 597/0.11 है0 का 1/2 भाग व 626/0.43 है0, मे से 0.36 है0 का 1/2 भाग वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। उक्त खसरा नम्बरान आराजी मौजूदा वाद मे विवादित आराजी कहलावेगी।
2. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 387/1—09 बिस्वा व 408/1—09 बिस्वा कुल रकबा 02 बिघा 18 बिस्वा का 1/2 भाग वादीगण 01 के पिता एवं 02 व 03 के ससूर एवं दादा स्व0 श्योनारायण पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी सानोली की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जो वादीगण को विरासत में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वादीगण का भी उक्त आराजी पर कब्जा है व शान्ती पूर्वक काश्त कर रहे है। मुलाहिजा हेतु जमाबन्दी सं0 2022 सलंग्न वाद है।
3. यह है कि भूप्रबंध विभाग ने उक्त साबिक खसरा नंबरान के हाल खसरा नं0 निम्न प्रकार बना दिए साबिक ख0नं0 387 मिन 0—10 बिस्वा के हाल ख0नं0 595/0.10 बिस्वा, ख0नं0 387 मिन 0.10 बिस्वा के हाल ख0नं0 596/0.10 बिस्वा, साबिक ख0नं0 387 मिन 0.09 बिस्वा के हाल ख0नं0 597/0.09 बिस्वा एवं साबिक ख0नं0 408/1.09 बिस्वा के हाल ख0नं0 626/1—14 बिस्वा में से 1—09 बिस्वा पैमूद किए है, मिलान क्षेत्रफल संलग्न वाद है।
4. यह है कि श्योनारायण पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी सानोली फौत हो चुका है जिसके वादीगण ही जायज वारीसान है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजा

5. यह है कि बंदोबस्त विभाग ने संवत् 2029 में मिसल बंदोबस्त बनाते वक्त विवादित खसरा नंबरान आराजी को बंदोबस्त जमाबंदी में श्योनारायण पुत्र गोरधन 1/2 भाग खातेदार के बजाय श्योनारायण पुत्र जोधा 1/3 भाग खातेदार दर्ज कर दिया। जिसमें वादी नं0 1 के पिता श्योनारायण का हिस्सा 1/2 भाग के बजाय 1/3 कर दिया एवं बंदोबस्त में गोरधन की बजाय जोधा लिख दिया जो इंद्राज गैरकानूनी है गलत है खिलाफ मौका है हर सूरत में काबिल दूरूस्त है।
6. यह है कि प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 बहुत की चतुर व चालाक प्रवृत्ति के लोग है जिन्होंने सैंटलमेंट कर्मचारियों से साजबाज होकर विवादित आराजी के 1/3 भाग में अपना नाम खिलाफ मौका व खिलाफ राजस्व रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी नं0 1 ल0 3 का विवादित आराजी से कोई भी संबंध व सरोकार नहीं था व ना ही आज है। प्रतिवादीगण गैर काबिज शक्स है इसलिए वादीगण, प्रतिवादीगण 1 ल0 3 का नाम विवादित आराजी में से हजफ करवाकर रिकॉर्ड को दूरूस्त कराने के अधिकारी है।
7. यह है कि संवत् 2033 की जमाबंदी बनाने वक्त राजस्व कर्मचारियों नें उक्त ख0नं0 के खातेदारों में वादीगण के पिता श्योनारायण का भी नाम बदल दिया व श्योनारायण के स्थान श्योकरण कर दिया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने विवादित आराजी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार श्योनारायण पुत्र गोरधन को श्योकरण पुत्र जोधा 1/3 का खातेदार कर दिया जो इंद्राज कतई गलत है खिलाफ कानून व मौका है। वादीगण मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड को दूरूस्त कराकर अपने आप को श्योनारायण पुत्र गोरधन के वारीसान के रूप में हिस्से अनुसार 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।
8. यह है कि राजस्व रिकार्ड मे गलत अंकन की वजह से वादीगणो के नाम आज तक म्रतक श्योनारायण की विरासत का इन्तकाल दर्ज नही हुआ है राजस्व रिकार्ड मे वादीगणो का नाम दर्ज नही होने से वादीगण राज्य सरकार द्वारा काश्तकारी लाभ भी नही उठा पा रहें है।
9. यह है कि वादीगण को विवादित आराजी के गलत रिकार्ड मे अंकन की जानकारी राजस्व रिकार्ड को अवलोकन करने पर हुई तो प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने बाबत कहा पहले तो प्रतिवादी 01 ल0 03 गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने का आश्वासन देते रहे लेकिन अब चुंकि जमीनो के भाव बढ जाने के कारण प्रतिवादीगण के मन मे बेईमानी आ गई है इसलिए दिनांक 17.10.2012 को गलत इन्द्राज दुरूस्त कराने से साफ इन्कार कर दिया व राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम का अंकन का फायदा उठाते हुए आराजी मुतनाजा को खुर्द–बुर्द करने की एलानिया धमकी दी।
10. यह है कि वादीगण के हक हकूक कानून द्वारा रक्षित है इसलिए अपने अधिकारो की रक्षार्थ दावा इश्तकरारहक बम्य दुरूस्ती इन्द्राज वो हु0ई0 दवामी पेश करना लाजिम आया है। तथा भूराराम का उक्त आराजी मे

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

हित निहित है लेकिन आज अदालत हाजा मे उपस्थित नही होने के कारण तर0 प्रति0 बनाया है।

11. यह है कि वादीगण को गलत इन्द्राज की जानकारी होने पर प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कराने की कहने व प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 10.10.2012 को इन्कार करने पर राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त होने पर दावा मामूलन अन्दर मियाद पेश है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना है कि वाद वादीगण बरखिलाफ प्रतिवादीगण बहक वादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। महति कपा होगी।

अ. यह है कि आराजी ख0 नं0 ख0 नं0 595/0.13 है0, 596/0.13 है0, 597/0.11 है0 का 1/2 भाग व 626/0.43 है0, मे से 0.36 है0 का 1/2 भाग वाके ग्राम सानोली तहसील मुण्डावर मे से वादी सं0 01 को 1/3 भाग, वादी सं0 02 व 03 को 1/3 भाग व तर0 प्रतिवादी 7 को 1/3 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व इसी प्रकार जमाबन्दी मे अमल दरामद के आदेश फरमाये जावें।

ब. यह है कि प्रतिवादी 01 ल0 03 का नाम राजस्व रिकार्ड मे पूर्ण रूप से हजफ किया जाकर वादीगण का नाम दर्ज करवाया जावे।

स. यह है कि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वो उक्त आराजी मे वादीगण के कब्जे काश्त मे मजाहमत पैदा ना करे, ना ही उपयोग व उपभोग मे बाधा डाले।

द. दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत मुनासिब समझे बख्शी जावें।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, विधिवत रूप से तामिल होने के बावजूद प्रतिवादीगण उपस्थित नही आये। जिसके कारण इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

वादी ने मौखिक साक्ष्य के रूप में पी.डब्लू–1 जगमाल, पी.डब्लू –2 रणधीर सिंह के शपथ पत्र पेश कर प्रदर्श अंकित कराये गये। वादी ने अपने दावे दाईत में दस्तावेजात प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2033, प्रदर्श–2 नकल बन्दोबस्त सम्वत 2029, प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 किता–3, प्रदर्श–4 नकल जमाबन्दी सम्वत 2022, प्रदर्श–5 जमाबन्दी सम्वत 2066–67 पेश की है।

वादी वकील ने लिखित बहस पेश की वादी की ओर से लिखित बहस निम्न प्रस्तूत है।

1. यह है कि वादीगणो द्वारा एक बाद उक्त उनवान अदालत श्रीमान में इस आशय का पेश किया गया है। कि आराजी ख0न0 595 रकबा 0.13 हैक0, 596 रकबा 0. 13 है0, 597 रकबा 0.11 हैक0, 626 रकबा 0.43 हैक०, कुल किता 4 रकबा 0.80 हैव०, वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर जिला अलवर में स्थित थे। जो आराजी ख0न0 595 रकबा 0.13 हैक0, 596 रकबा 0.13 हैक0, 597 रकबा 0.11 हैक० का 1/2 भाग व ख०न० 626 रकबा 0.43

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

हैक0 में से 0.36 हैक० का 1/2 भाग वादीगण व तर० प्रतिवादीगण स० 3 की कब्जेकाश्त एवं खातेदारी की आराजी है।

श्रीमानजी, साबिक ख०न० 387 रकबा 1.09 बिस्वा, व 408 रकबा 1.09 बिस्वा कुल रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा का 1/2 भाग वादीगण स० 1 व तर० प्रतिवादीगण के पिता एव वादीगण स० 2 व 3 के ससुर एवं दादा स्व० श्री श्योनारायण पुत्र गोरधन जाति अहीर निवासी सानोली की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी थी, जो वादीगण को विरास्त में प्राप्त हुई है। इसी प्रकार वादीगण का भी उक्त आराजी पर कब्जा है व शान्तिपूर्वक काश्त कर रहे है।

श्रीमानजी, भु–प्रबंधक विभाग सम्वत 2029 ने उक्त साबिक ख०न० के हाल ख०न० निम्न प्रकार पैमूद किये है–

क्र. स0	साबिक ख०न०	हाल ख०न०
1	387 मिन रकबा 0–10 बिस्वा	595 रकबा 0–10 बिस्वा
2	387 मिन रकबा 0–10 बिस्वा	596 रकबा 0–10 बिस्वा
3	387 मिन रकबा 0–09 विस्वा	597 रकबा 0–09 बिस्वा
4	408 रकबा 1–09 बिस्वा	626 रकबा 1–14 बिस्वा

श्रीमानजी, श्योनारायण पुत्र गोरधन निवासी सानोली तह० गुण्डावर फौत हो चुका है जिसके वादीगण व तर० प्रतिवादीगण ही जायज वारिसान है। बन्दोबस्त विभाग ने स0 2029 में मिसल बन्दोबस्त बनाते समय विवादित खसरा नम्बरान आराजी को बन्दोबस्त जमाबन्दी में श्योनारायण पुत्र गोरधन का 1/2 भाग खातेदार की बजाय श्योनारायण पुत्र जोधा 1/3 भाग खातेदार दर्ज कर दिया जिसमें वादी स० 1 के पिता श्योनारायण का हिस्सा 1/2 भाग की बजाय 1/3 कर दिया एवं पिता का नाम गोरधन की बजाय जोधा लिख दिया, जो इन्द्राज गेर कानूनी है गलत है खिलाफ मौका है हर सूरत में काबिल दुरूस्त है। परिवार का सजरा निम्न है–

श्योनारायण पुत्र गोरधन (फैत)

जगमालसिंह	श्रीराम (फौत) वादी स० 1 व 2	भूराराम (फौत) तर० प्रतिवादीगण तर० प्रति० स० 7/1 का 1/5

श्रीमानजी, प्रतिवादी स० 1 ल० 3 बहुत ही चतुर व चालाक प्रवृति के लोग है जिन्होने सैटमेन्ट कर्मचारियो से साजबाज होकर विवादित आराजी के 1/3 भाग में अपना नाम खिलाफ मौका व खिलाफ राजस्व रिकोर्ड दर्ज करवा लिया जबकि प्रतिवादी न० 1 ल० 3 का विवादित आराजी से कोई भी सम्बंध व सरोकार नही था व ना ही आज है। प्रतिवादीगण गैर काबिज शक्श है इसलिये वादीगण, प्रतिवादीगण स० 1 ल० 3 का नाम विवादित आराजी में से हजफ कराकर रिकोर्ड को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। समस्त प्रतिवादीगणो की तामिल जरिये रजि० डाक करवाई गई, प्रतिवादीगण फोत होने के पश्चात उनके विधिक वारिसान रिकोर्ड पर लिये जाकर उनकी भी तामिल जरिये रजि०

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

डाक करवाकर रसीद डाक पत्रावली में पेश की गई बावजूद विधिवत तामिल प्रतिवादीगण समस्त गैर हाजिर अदालत रहे, इस कारण समय–समय पर प्रतिवादीगण एकतरफा कार्यवाही अदालत द्वारा अमल में लाई गई, इसी प्रकार तर० प्रतिवादी स० 7 भूराराम की भी विधिवत तामिल करवाई गई तर० प्रतिवादी की फोतगी के पश्चात् उनके विधिक वारिस तर० प्रतिवादी स० 7/1 ल० 7/5 की जद में पक्षकार बनाकर विधिवत तामिल करवाई, लेकिन बावजूद तामिल तर० प्रतिवादीगण उपस्थित नही होने के कारण उनके खिलाफ भी अदालत श्रीमान द्वारा एकतरफा कार्यवाही कर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी में नीयत की गई।

श्रीमानजी वादीगणो द्वारा मौखिक साक्षी के रूप में पी.डब्लू –1 जगमालसिंह व पी.डब्लू–2 रणधीरसिंह पुत्र हरफूल जो कि प्रतिवादी स० 2/5 की जद में पक्षकार है, के शपथ पत्र पर बयान करवाये व दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुल 5 दस्तावेज पेश किये जो निम्न है–

1. प्रदर्श स० 1 जमाबन्दी 2033
2. प्रदर्श स० 2– मिसल 2029
3. प्रदर्श स० 3– मिलान क्षेत्रफल
4. प्रदर्श स० 4 जमाबन्दी 2022
5. प्रदर्श स० 5– जमाबन्दी 2066–69

श्रीमानजी, सम्वत 2033 की जमाबन्दी बनाते वक्त राजस्व कर्मचारियो ने उक्त खसरा न० के खातेदारों में वादीगण स० 1 के पिता श्योनारायण का भी नाम बदल दिया व श्योनारायण के स्थान पर श्योकरण कर दिया। इस प्रकार कर्मचारियो ने विवादित आराजी के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार श्योनारायण पुत्र गोरधन को श्योकरण पुत्र जोधा 1/3 भाग का खातेदार कर दिया जो इन्द्राज कतई गलत है खिलाफ कानून व मौका है वादीगण मौजूदा राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करा कर अपने आप को श्योनारायण पुत्र गोरधन के वारिसान के रूप में हिस्से अनुसार 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है।

श्रीमानजी, वाद पेश करने के बाद पुनः सैटलमेन्ट हो चुका है जिसमें तत्कालीन हाल विवादित खसरा नम्बरानो के वर्तमान ख0न0 655 रकबा 0.13 हैक0, 656 रकबा 0.13 हैक0, 657 रकबा 0.11 हैक0, 686 रकबा 0.43 हैक0, वाके ग्राम सानोली तह० मुण्डावर बने है।

श्रीमानजी, उक्त वाद के निर्णय के पश्चात वाद पेश करते समय के हाल खसरा नम्बरो के कारण दुरूस्ती के समय आने वाली अनावश्यक पेचीदगीयो से बचने के लिए व वादी को अन्य वाद कार्यवाही में नही उलझना पडे। इसलिए प्राकृतिक व शुल्भ न्याय प्रदान करने के लिए हाल ख०नम्बरो का हवाला निर्णय में दिया जाकर राजस्व रिकोर्ड हाल जमाबन्दी को दुरूस्त करवाया जाना न्यायोचित होगा।

अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद डिकी फरमाया जावे। श्रीमान की महति कृपा होगी।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

1. वाद की प्रकृति एवं मांगा गया अनुतोष
वादीगण ने वर्तमान वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत दावा इश्तिकार–हक मय दुरूस्ती इन्द्राज प्रस्तुत किया है, जिसमें विवादित भूमि में अपने हिस्से अनुसार खातेदारी व कब्जे–काष्त के अधिकारों की घोषणा, राजस्व अभिलेखों में गलत इन्द्राज की दुरूस्ती एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबद्ध करने का अनुतोष चाहा है।

2. प्रतिवादीगण की तामील एवं उपस्थिति
वाद दर्ज होने के पश्चात समस्त प्रतिवादीगण की तामील रजिस्टर्ड डाक एवं कोर्ट अमीन के माध्यम से विधिवत करवाई गई। पत्रावली पर डाक–रसीदें, तामील रिपोर्ट एवं नोटिस तामील शुदा होने से प्रतिवादीगण को वाद की पूर्ण जानकारी होना सिद्ध है। इसके बावजूद कोई भी प्रतिवादी न्यायालय में पेश नहीं हुआ, न ही कोई लिखित बयान/आपत्ति प्रस्तुत की गई। अतः न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाते हुए पत्रावली वादी पक्ष साक्ष्य हेतु नियत की गई।

3. वादी पक्ष का साक्ष्य
मौखिक साक्ष्य –
पी.डब्ल्यू.1 जगमाल सिंह (वादी सं. 1) ने अपने शपथ–पत्रीय बयान में यह स्पष्ट कहा कि साबिक खसरा संख्या 387 व 408 के 1/2 भाग पर उनके पिता स्वर्गीय श्योनारायण पुत्र गोरधन की खातेदारी व कब्जे–काश्त थी, जो उनकी मृत्यु के पश्चात वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को विरासत में प्राप्त हुई तथा वादी आज भी विवादित भूमि पर काश्त कर रहे हैं।

पी.डब्ल्यू.2 रणधीर सिंह पुत्र हरफूल (जो प्रतिवादी सं. 2/5 की जद में पक्षकार हैं) ने भी अपने बयान में वादीगण के कब्जे, काश्त एवं स्वर्गीय श्योनारायण की खातेदारी को पुष्ट किया तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 के कब्जे से स्पष्ट इनकार किया।

दस्तावेजी साक्ष्य – वादीगण ने निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कि :–
1. प्रदर्श–1 – जमाबन्दी सम्वत 2033
2. प्रदर्श–2 – मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029
3. प्रदर्श–3 – मिलान क्षेत्रफल
4. प्रदर्श–4 – जमाबन्दी सम्वत 2022
5. प्रदर्श–5 – जमाबन्दी सम्वत 2066–67

इन दस्तावेजों से यह तथ्य सिद्ध होता है कि–
साबिक खसरा नं. 387 एवं 408 का 1/2 भाग श्योनारायण पुत्र गोरधन की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में था। सेटलमेंट में साबिक खसरा नम्बरो से वर्तमान (सम्वत 2029 के सैटलेन्ट के अनुसार) खसरा नम्बरों 595, 596, 597 एवं 626 का निर्माण हुआ। बाद में जमाबन्दी सम्वत 2033 में श्योनारायण पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योकरण पुत्र जोधा 1/3 भाग दर्ज कर दिया गया, जो न तो वंशावली से मेल खाता है, न मौके की स्थिति से।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

4. मुख्य विवादगत प्रश्न (मुद्दे)

1. क्या साबिक खसरा नं. 387 व 408 के 1/2 भाग पर स्वर्गीय श्योनारायण पुत्र गोरधन की वैधानिक खातेदारी एवं कब्जे–काश्त सिद्ध है?
2. क्या वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण, स्वर्गीय श्योनारायण के वैध वारिसान होने के नाते विवादित भूमि के 1/2 भाग पर हिस्से अनुसार खातेदार–काश्तकार घोषित किए जाने के अधिकारी हैं?
3. क्या राजस्व अभिलेखों में श्योकरण पुत्र जोधा के नाम 1/3 भाग दर्ज किया जाना एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम विवादित भू–खण्डों में इन्द्राज, गलत, अवैध एवं दुरूस्त किए जाने योग्य है?
4. क्या वादीगण धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा के अनुतोष के अधिकारी हैं?

मुद्दों पर विचार

मुद्दा सं. 1 व 2 – खातेदारी व विरासत संबंधी अधिकार

प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य (प्रदर्श–1 से 5) एवं मौखिक साक्ष्य से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि– साबिक खसरा नं. 387 व 408 का 1/2 भाग श्योनारायण पुत्र गोरधन की खातेदारी में था। वादीगण (जगमाल सिंह, सरवण देवी, मायादेवी) तथा तरतीबी प्रतिवादीगण (7/1 से 7/5) उसी श्योनारायण के वंशज एवं वैध वारिसान हैं। वादीगण आज तक मौके पर काश्त कर रहे है, प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को न तो चुनौती दी, न ही कोई प्रति–साक्ष्य प्रस्तुत किया।

अतः न्यायालय के विनम्रमत से वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण, स्वर्गीय श्योनारायण के उत्तराधिकारी होकर विवादित भूमि के 1/2 भाग के हिस्से के वैधानिक खातेदार–काश्तकार हैं। यह मुद्दे वादी के पक्ष में निस्तारित किए जाते हैं।

मुद्दा सं. 3 – गलत इन्द्राज एवं दुरूस्ती

मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 एवं जमाबन्दी सम्वत 2033 के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि नाम एवं पिता का नाम श्योनारायण पुत्र गोरधन के स्थान पर श्योकरण पुत्र जोधा दर्ज किया गया है। हिस्सेदारी 1/2 के स्थान पर 1/3 भाग लिखी गई है। प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम खातेदार के रूप में अंकित हैं, जबकि उनके कब्जे/काश्त/खरीद/वसीयत/हस्तांतरण अथवा अन्य किसी वैधानिक माध्यम से अधिकार प्राप्त होने का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इस प्रकार राजस्व अभिलेखों में किया गया इन्द्राज न तो वंशावली से समर्थित है, न ही कब्जे अथवा किसी वैधानिक दस्तावेज से। इसे पूर्णतः त्रुटिपूर्ण, मनमाना एवं अवैधानिक माना जाना न्यायोचित है।

अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि श्योकरण पुत्र जोधा के नाम 1/3 इन्द्राज एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम विवादित भू–खण्डों में दर्ज खातेदारी पूर्णतः गलत है। उक्त गलत इन्द्राज दुरूस्त किए जाने योग्य है तथा इसे यथास्थिति रहने देना वादीगण के वैध अधिकारों पर स्थायी आघात होगा।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दा सं. 4 घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई भी व्यक्ति, जो अपने काश्तकारीध्खातेदारी अधिकार के संबंध में घोषणा चाहता है, सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। धारा 89 के तहत राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों की दुरूस्ती का अधिकार भी प्रदत्त है। वर्तमान मामले में वादीगण अपने खातेदार–काश्तकार होने की घोषणा चाहते हैं गलत इन्द्राज दुरूस्त कराकर अपने नाम हिस्से अनुसार दर्ज कराना चाहते हैं, तथा प्रतिवादीगण को भविष्य में हस्तक्षेप न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबद्ध करना चाहते हैं।

चूँकि वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और प्रतिवादीगण पूरी कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहे हैं, अतः वादीगण की मांग पूर्णतः न्यायसंगत, विधिसंगत एवं स्वीकार किए जाने योग्य है। यह मुद्दा भी वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

6. परिणाम
उपरोक्त समस्त विवेचन, साक्ष्य तथा विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण का वाद सफल सिद्ध हुआ है तथा वादीगण दावे के अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

निर्णय

वादीगण का प्रस्तुत वाद स्वीकृत किया जाता है। वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है। यह घोषणा की जाती है कि आराजी खसरा नं. 595 रकबा 0.13 है0, 596 रकबा 0.13 है0, 597 रकबा 0.11 है0 का 1/2 भाग व 626 रकबा 0.43 है0 में से 0.36 है0 के 1/2 भाग ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा पर वादी सं. 1 जगमाल सिंह पुत्र श्योनारायण, वादी सं. 2 सरवण देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम, व वादी सं. 3 मायादेवी पुत्री स्वर्गीय श्रीराम, तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के विधिक वारिसान 7/1 वेदप्रकाश, 7/2 कैलाश, 7/3 लखपती, 7/4 बिरमा, 7/5 संजय स्वर्गीय श्योनारायण पुत्र गोरधन के वारिसान होने के नाते हिस्से अनुसार 1/3–1/3–1/3 भाग के खातेदार–काश्तकार हैं। राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि के संबंध में श्योकरण पुत्र जोधा के नाम दर्ज खातेदारी, एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम जो भी प्रविष्टियाँ खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, पूर्णतः गलत, अवैध व मौके की स्थिति के प्रतिकूल घोषित की जाती हैं तथा इन्हें तत्काल प्रभाव से हज्फ (हटाया) किया जाकर दुरूस्त किया जावे। वाद पेश करने के समय के हाल खसरा नम्बरों के अतिरिक्त, पुनः सेटलमेंट के बाद बने वर्तमान खसरा नम्बरों खसरा नं. 655 (पूर्व खसरा 595),खसरा नं. 656 (पूर्व खसरा 596), खसरा नं. 657 (पूर्व खसरा 597), खसरा नं. 686 (पूर्व खसरा 626), में भी उपर्युक्त घोषणा के अनुरूप ही वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को दुरूस्त शुद्वा इन्द्राज श्योनारायण पुत्र गोरधन के 1/2 भाग में से उनके हिस्से अनुसार 1/3–1/3–1/3 भाग के खातेदार–काश्तकार के रूप में नाम दर्ज किए जाने हेतु दुरूस्ती इन्द्राज का आदेश किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

मुद्दा सं. 4 घोषणा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अधिकार
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत कोई भी व्यक्ति, जो अपने काश्तकारीध्खातेदारी अधिकार के संबंध में घोषणा चाहता है, सक्षम राजस्व न्यायालय में वाद दायर कर सकता है। धारा 89 के तहत राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों की दुरूस्ती का अधिकार भी प्रदत्त है। वर्तमान मामले में वादीगण अपने खातेदार–काश्तकार होने की घोषणा चाहते हैं गलत इन्द्राज दुरूस्त कराकर अपने नाम हिस्से अनुसार दर्ज कराना चाहते हैं, तथा प्रतिवादीगण को भविष्य में हस्तक्षेप न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबद्ध करना चाहते हैं।

चूँकि वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं और प्रतिवादीगण पूरी कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित रहे हैं, अतः वादीगण की मांग पूर्णतः न्यायसंगत, विधिसंगत एवं स्वीकार किए जाने योग्य है। यह मुद्दा भी वादी के पक्ष में निस्तारित किया जाता है।

6. परिणाम
उपरोक्त समस्त विवेचन, साक्ष्य तथा विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वादीगण का वाद सफल सिद्ध हुआ है तथा वादीगण दावे के अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

निर्णय

वादीगण का प्रस्तुत वाद स्वीकृत किया जाता है। वाद वादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है। यह घोषणा की जाती है कि आराजी खसरा नं. 595 रकबा 0.13 है0, 596 रकबा 0.13 है0, 597 रकबा 0.11 है0 का 1/2 भाग व 626 रकबा 0.43 है0 में से 0.36 है0 के 1/2 भाग ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा पर वादी सं. 1 जगमाल सिंह पुत्र श्योनारायण, वादी सं. 2 सरवण देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम, व वादी सं. 3 मायादेवी पुत्री स्वर्गीय श्रीराम, तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के विधिक वारिसान 7/1 वेदप्रकाश, 7/2 कैलाश, 7/3 लखपती, 7/4 बिरमा, 7/5 संजय स्वर्गीय श्योनारायण पुत्र गोरधन के वारिसान होने के नाते हिस्से अनुसार 1/3–1/3–1/3 भाग के खातेदार–काश्तकार हैं। राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि के संबंध में श्योकरण पुत्र जोधा के नाम दर्ज खातेदारी, एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम जो भी प्रविष्टियाँ खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, पूर्णतः गलत, अवैध व मौके की स्थिति के प्रतिकूल घोषित की जाती हैं तथा इन्हें तत्काल प्रभाव से हज्फ (हटाया) किया जाकर दुरूस्त किया जावे। वाद पेश करने के समय के हाल खसरा नम्बरों के अतिरिक्त, पुनः सेटलमेंट के बाद बने वर्तमान खसरा नम्बरों खसरा नं. 655 (पूर्व खसरा 595),खसरा नं. 656 (पूर्व खसरा 596), खसरा नं. 657 (पूर्व खसरा 597), खसरा नं. 686 (पूर्व खसरा 626), में भी उपर्युक्त घोषणा के अनुरूप ही वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को दुरूस्त शुद्वा इन्द्राज श्योनारायण पुत्र गोरधन के 1/2 भाग में से उनके हिस्से अनुसार 1/3–1/3–1/3 भाग के खातेदार–काश्तकार के रूप में नाम दर्ज किए जाने हेतु दुरूस्ती इन्द्राज का आदेश किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादीगण 1 से 6 एवं अन्य उत्तराधिकारी/माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह आदेश पारित किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे–काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा/मजाहमत उत्पन्न नहीं करेंगे, विवादित भूमि का हस्तांतरण, विक्रय, बंटवारा, गिरवी, नामांतरण या किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा करने की स्थिति में वादीगण को विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तहसीलदार, मुण्डावर एवं संबंधित पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशानुसार वर्तमान एवं पूर्व दोनों प्रकार के खसरा नम्बरों की जमाबन्दी, खाता–बही एवं अन्य राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती इन्द्राज कर अमल–दरामद रिपोर्ट नियत समय सीमा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकार अपने–अपने वहन करेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल-तिजारा (राज0

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सृष्टि जैन (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
76/2013	01.04.2013	24.11.2025

बउनवान

1. जगमाल सिंह पुत्र श्री श्योनारायण
2. सरवण देवी पत्नी स्व0 श्रीराम
3. मायादेवी पुत्री स्व0 श्रीराम जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

:– वादी

बनाम

1. सुलतान पुत्र जोधा
2. हरफूल पुत्र जोधा मृतक

2/1 विधा देवी पुत्री श्री हरफूल
2/2 ईश्वरसिंह पुत्र
2/3 रामावतार पुत्र हरफूल मृतक
2/3/1 शारदा पत्नी स्व0 श्री रामावतार
2/3/2 अजीत पुत्र स्व0 श्री रामावतार
2/3/3 पवन पुत्र स्व0 श्री रामावतार
2/4 रघुवीर पुत्र
2/5 रणधीर पुत्र
2/6 वीरसिंह पुत्र
2/7 संतोष पुत्र हरफूल जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3/1 अमीलाल पुत्र हरदान मृतक
3/1/1 चन्द्रो देवी पत्नी अमीलाल
3/1/2 सुरेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/3 नरेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/4 धमेन्द्र पुत्र श्री अमीलाल
3/1/5 अनिता पुत्री श्री अमीलाल
3/1/6 बबली पुत्री श्री अमीलाल
3/2 बनवारी पुत्र हरदान
3/3 सरवण पुत्री हरदान
3/4 भगवती पुत्री हरदान
3/5 चम्पा पुत्री हरदान
3/6 रामकंला पुत्री हरदान जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

4. गिर्राज पुत्र प्रभात
5. रोहताश पुत्र प्रभाती मृतक

5/1 सदा उर्फ शारदा पत्नी श्री रोहिताश
5/2 राजेश पुत्र रोहिताश
5/3 राजेश पुत्र रोहिताश

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

5/4 अशविन पुत्र रोहिताश जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. श्रीमान तहसीलदार साहब मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: प्रतिवादीगण

7. भूराराम पुत्र श्री श्योनारायण मृतक
7/1 वेदप्रकाश पुत्र भूराराम
7/2 कैलाश पुत्री भूराराम
7/3 लखपती पुत्री भूराराम
7/4 बिरमा पुत्री भूराराम
7/5 संजय पुत्री भूराराम जातियान अहीरान निवासीयान सानौली तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

—: तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा इश्तकारहक मय दूरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से **श्री सतीश यादव एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण अनुपस्थिति में इस वाद में **दिनांक 24.11.2025** को **श्री सृष्टि जैन, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निर्णय हुआ था। पर्चा डिक्री जारी की जाती है :—

आराजी खसरा नं. 595 रकबा 0.13 है0, 596 रकबा 0.13 है0, 597 रकबा 0.11 है0 का 1/2 भाग व 626 रकबा 0.43 है0 में से 0.36 है0 के 1/2 भाग ग्राम सानोली तह0 मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा पर वादी सं. 1 जगमाल सिंह पुत्र श्योनारायण, वादी सं. 2 सरवण देवी पत्नी स्वर्गीय श्रीराम, व वादी सं. 3 मायादेवी पुत्री स्वर्गीय श्रीराम, तथा तरतीबी प्रतिवादी सं. 7 के विधिक वारिसान 7/1 वेदप्रकाश, 7/2 कैलाश, 7/3 लखपती, 7/4 बिरमा, 7/5 संजय स्वर्गीय श्योनारायण पुत्र गोरधन के वारिसान होने के नाते हिस्से अनुसार 1/3—1/3—1/3 भाग के खातेदार—काश्तकार हैं। राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि के संबंध में श्योकरण पुत्र जोधा के नाम दर्ज खातेदारी, एवं प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम जो भी प्रविष्टियाँ खातेदार/काश्तकार के रूप में दर्ज हैं, पूर्णतः गलत, अवैध व मौके की स्थिति के प्रतिकूल घोषित की जाती हैं तथा इन्हें तत्काल प्रभाव से हज्फ (हटाया) किया जाकर दुरूस्त किया जावे। वाद पेश करने के समय के हाल खसरा नम्बरों के अतिरिक्त, पुनः सेटलमेंट के बाद बने वर्तमान खसरा नम्बरों खसरा नं. 655 (पूर्व खसरा 595),खसरा नं. 656 (पूर्व खसरा 596), खसरा नं. 657 (पूर्व खसरा 597), खसरा नं. 686 (पूर्व खसरा 626), में भी उपर्युक्त घोषणा के अनुरूप ही वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को दुरूस्त शुद्वा इन्द्राज श्योनारायण पुत्र गोरधन के 1/2 भाग में से उनके हिस्से अनुसार 1/3—1/3—1/3 भाग के खातेदार—काश्तकार के रूप में नाम दर्ज किए जाने हेतु दुरूस्ती इन्द्राज का आदेश किया जाता है। स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 से 6 एवं अन्य उत्तराधिकारी/माध्यम से कार्य करने वाले व्यक्तियों को यह आदेश पारित किया जाता है कि वे वादीगण के कब्जे—काश्त में किसी भी प्रकार की बाधा/मजाहमत उत्पन्न नहीं करेंगे,

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner

विवादित भूमि का हस्तांतरण, विक्रय, बंटवारा, गिरवी, नामांतरण या किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द करने का प्रयास नहीं करेंगे, ऐसा करने की स्थिति में वादीगण को विधि अनुसार कार्यवाही करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। तहसीलदार, मुण्डावर एवं संबंधित पटवारी हल्का को निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त आदेशानुसार वर्तमान एवं पूर्व दोनों प्रकार के खसरा नम्बरों की जमाबन्दी, खाता–बही एवं अन्य राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती इन्द्राज कर अमल–दरामद रिपोर्ट नियत समय सीमा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। खर्चा पक्षकार अपने–अपने वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सृष्टि जैन)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

Scanned with OKEN Scanner